

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/5136 /

जबलपुर, दिनांक 18 / 10 / 2022

दो-14-224 / 18

श्री आर.एस. चौधरी, ए.ओ., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्य प्रदेश सिविल सर्विस अवकाश नियम 1977 के अवकाश नियम 13 (ii) एवं नियम 33 (1) के अनुसार दिनांक 27.10.2022 से 26.11.2022 तक 31 दिन का संबानिवृत्ति पूर्व अवकाश एवं मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार

सही / -

(प्रमोद कुमार अग्रवाल)
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (सतर्कता)

पृष्ठांकन क्रमांक C/5137 /

जबलपुर, दिनांक 18 / 10 / 2022

दो-14-224 / 18

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) स्थापना/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्री आर.एस. चौधरी, ए.ओ., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(हेमन्त जोशी)
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्या.)

५